संख्या-17/2024/001-ई-3111431/60-3-2024-सी-1685800

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति की उपयोजना सामथ्र्य के अधीन हब फॉर इम्पॉवरमेन्ट ऑफ वूमेन के संचालन हेतु स्वीकृत केन्द्रांश एवं सापेक्षिक राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-388/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2024-25, दिनांक 08.10.2024 तथा पत्र संख्या-417/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2024-25, दिनांक 23.10.2024 का कृपया सन्देर्भ ग्रहण करें, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति की उप योजना ''सामर्थ्य'' के अधीन 'हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन' के लिए स्वीकृत केन्द्रांश एवं सापेक्षिक राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति की उप योजना ''सामर्थ्य'' के अधीन 'हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन' के क्रियान्वयन हेतु प्रथम त्रैमास (अप्रैल, 2024 से जून, 2024) के लिए रू0 3,89,87,500/- (रूपये तीन करोड़ नवासी लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

केन्द्रांश के रूप में तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय त्रैमास (जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024) के लिये धनराशि रू0-3,89,88,500/- (रूपये तीन करोड़ नवासी लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ मात्र) की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत केन्द्रांश की प्रत्याशा में रू0 1,54,47,199/- की धनराशि केन्द्रांश के रूप में व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत केन्द्रांश रू0 3,89,87,500/- में से गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय की गई धनराशि रू0 1,54,47,199/- को समायोजित करते हुए शेष धनराशि रू0 2,35,40,301/- केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-06-महिला शक्ति केंद्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के मद में तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्षिक राज्यांश के रूप में रू0 1,56,93,534/- अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-02-महिला शक्ति केंद्र की स्थापना के मानक मद-42-अन्य व्यय में और अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-02-महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना के मानक मद-42-अन्य व्यय में धनराशि रू0-2,59,92,333/- (रूपये दो करोड़ उन्सठ लाख बान्नबे हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) तथा अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-06-महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना-(के.60/रा.40-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय त्रैमास (जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024) के लिये धनराशि रू0-3,89,88,500/- (रूपये तीन करोड़ नवासी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ मात्र) अर्थात् माह अप्रैल, 2024 से सितम्बर, 2024 तक 42-अन्य व्यय में रू0-4,16,85,867/- तथा 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0-6,25,28,801/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बान्धस में है।

2- इस सम्बन्ध) में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य के अधीन हब फॉर इम्पॉवरमेन्ट ऑफ वूमेन के संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-02-महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0-9,35,68,000/- (रूपये नौ करोड़ पैंतीस लाख अड़सठ हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-4,16,85,867/- (रूपये चार करोड़ सोलह लाख पच्चासी हजार आठ सौ सड़सठ मात्र) तथा अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-06-महिला शक्ति केन्द्रा की स्थापना-(के.60/रा.40-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-14,03,52,000/- (रूपये चौदह करोड़ तीन लाख बावन हजार मात्र) के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त् प्रथम/द्वितीय त्रैमास (अप्रैल, 2024 से सितम्बार, 2024) के लिये धनराशि रू0-6,25,28,801/- (रूपये छः करोड़ पच्चीस लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ एक मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की पुनरावृत्ति न हो।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/ दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत करायें।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त, केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी।

(11) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर केन्द्रांश प्राप्त किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही में केन्द्रांश प्राप्त होने में विलम्ब की दशा में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय, अन्यथा वित्तीय वर्ष के अन्त में एस.एन.ए. खाते मे राज्यांश की अवशेष अव्ययित धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अवमुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राज्यांश के सापेक्ष संगत केन्द्रांश कम प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में, अधिक अवमुक्त राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुये वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेंगी। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-2025 में केन्द्रांश की प्रत्याशा में अवमुक्त राज्यांश पर भी लागू होंगे।

(12) पी.एफ.एम.एस. डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- F-No-1(13)PFMS/FCD/2020, दिनाँक 23 मार्च, 2021 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के सम्बन्ध में दिनाँक 01 जुलाई, 2021 से एस.एन.ए. माड्यूल लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, उक्त योजनाओं के संगत राज्यांश पर भी लागू होंगे, जिसका सम्पूर्ण अनुपालन का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(13) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(14) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(15) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार/अन्य संस्थाओं को आवश्यक अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

(16) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 6,25,28,801 (रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ एक मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021030206 महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 4,16,85,867 (रुपये चार करोड़ सोलह लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पचासी हजार आठ सौ सड़सठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021038902 महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न आर0ई0 संख्या-E-4-118-X-2024-25, दिनांक 23-12-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-17(1)/2024/001-ई-3111431/60-3-2024-सी-1685800, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- योजना अधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।